

महानिदेशालय, भा.ति.सी.पुलिस बल  
गृह मंत्रालय, भारत सरकार  
खंड-2, केंद्रीय कार्यालय परिसर  
लोदी रोड, नई दिल्ली 03-

दिनांक 28/10/2021

कार्यालय ज्ञापन

**विषय - हिंदी कार्यशाला का आयोजन : मानदेय के संबंध में स्पष्टीकरण ।**

महानिदेशालय, भा.ति.सी.पु. बल से दिनांक-08.05.2019 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या-167 का संदर्भ लें, जिसके तहत आंतरिक वित्त प्रभाग, महानिदेशालय के दिनांक-05.05.16 के कार्यालय आदेश सं.-500 (वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन) के तहत हिंदी कार्यशाला के व्याख्याताओं को महानिदेशालय के आंतरिक वित्त सलाहकार की सहमति उपरांत मानदेय हेतु प्रकरण गृह मंत्रालय को अग्रेसर किए जा रहे हैं।

2. इस संबंध में महानिदेशालय, भा.ति.सी.पु. बल के आंतरिक वित्त प्रभाग से औपचारिक मार्गदर्शन प्राप्त करने के उपरांत स्पष्ट किया जाता है कि हिंदी कार्यशालाओं तथा राजभाषा संबंधी अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रदान किए जाने वाले मानदेय की स्वीकृति के लिए आंतरिक वित्त सलाहकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है। अतः राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक-16.06.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं-12019/8/2015-रा.भा.(का-2)पार्ट-2 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित कार्यालयाध्यक्ष मानदेय की राशि लेखाशीर्ष 'वेतन'(Salary) से अपने स्तर पर स्वीकृत कर सकते हैं।

3. यह आंतरिक वित्तीय सलाहकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

उप महानिरीक्षक(शि.व.क.)  
महानिदेशालय, भा.ति.सी.पुलिस बल  
28/10

सेवा में,

1. समस्त फॉर्मेशन, भा.ति.सी.पुलिस बल-तदनुसार कार्रवाई हेतु।
2. उप सेनानी(आई.टी.)-बल की वेबसाइट में विद्यमान राजभाषा फोल्डर में अपलोड करवाने हेतु।

प्रतिलिपि-

1. आंतरिक वित्त अनुभाग/प्रशासन अनुभाग/ महानिदेशालय भंडार/लेखा शाखा, महानिदेशालय, भा.ति.सी.पुलिस बल -सूचनार्थ।
2. गार्ड मिसिल।

1027  
28/10/21  
1420  
2

उप महानिरीक्षक(शि.व.क.)  
महानिदेशालय, भा.ति.सी.पुलिस बल  
28/10

संख्या : 12019/81/2015-रा.भा (का.-2)पार्ट-2

रजभाषा (संस्कृत)  
DIE/ISS

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
राजभाषा विभाग

को दिनांक चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-2 अयज, जय सिंह रोड,  
नई दिल्ली-110001, दिनांक 14 जून, 2016


कार्यालय जापन

विषय :- हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन : मानदेय के संबंध में स्पष्टीकरण ।

राजभाषा विभाग द्वारा कार्यशालाओं के आयोजन के संबंध में दिनांक 29 फरवरी, 2016 को एक समसंख्यक कार्यालय जापन जारी किया गया था । उक्त कार्यालय जापन के पैरा 2(6) में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23.09.2014 के का.जा. सं. 13024/01/2009-प्रशिक्षण के अनुसार मानदेय दिए जाने का उल्लेख किया गया है । इसी क्रम में विल मंत्रालय(व्यय विभाग) से प्राप्त अनुमोदन (डाकरी संख्या 3317673, दिनांक 14/06/2016) के आधार पर सरकारी कर्मियों के हिंदी में कार्य करने के लिए आयोजित की जाने वाली कार्यशालाओं में प्रशिक्षण देने वाले अधिकारियों के लिए मानदेय राशि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

(क) केंद्र/राज्य सरकार के सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 75 मिनट के प्रति सत्र के लिए 500/- रुपए का पारिश्रमिक/मानदेय देय होगा । किसी भी वक्ता को एक वर्ष में पारिश्रमिक/मानदेय के रूप में देय राशि 5000/- रुपए से अधिक नहीं होगी ।

(ख) केंद्र/राज्य सरकार के सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर अन्य अतिथि वक्ताओं को 75 मिनट के प्रति सत्र के लिए 1000/- रुपए का पारिश्रमिक/मानदेय देय होगा । 5000/- रुपए प्रति वर्ष देय पारिश्रमिक/मानदेय की सीमा इस श्रेणी पर लागू नहीं होगी ।


  
(हरिन्द्र कुमार)

निदेशक(कार्यान्वयन)

दूरभाष -011-23438129

~~कर्मिका राजभाषा~~  
E/20/11

- प्रति :-
1. राष्ट्रपति सचिवालय / उपरान्त सचिवालय /संघीय सचिवालय /राज्यसभा सचिवालय /राज्यसभा सचिवालय /संसदीय सचिवालय /अंत्रिमंडल सचिवालय /निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
  2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग -अनुरोध है कि इस जापन को अपने संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में लाएं।
  3. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो/केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - अनुरोध है कि इस कार्यालय जापन को समस्त क्षेत्रीय उप निदेशकों (हिंदी शिक्षण योजना) के ध्यान में ला दें ।
  4. संसदीय राजभाषा समिति, 11, लीज मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली ।
  5. राजभाषा विभाग के तकनीकी कक्ष को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त का.जा. को विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें ।
  6. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय - अनुरोध है कि इस कार्यालय जापन को अपने क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, तृतीय संस्थाओं तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में आने वाले विश्वविद्यालयों, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों व नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के ध्यान में ला दें ।

  
(हरिन्द्र कुमार)

निदेशक(कार्यान्वयन)